

प्रेषक,

उमेश कुमार ,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2018

विषय -जनपद न्यायालय झाँसी परिसर में स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के मरम्मत हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 34/2017/443/सात-न्याय-9(बजट)-2015-800(6)/2017, दिनांक 22-03-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय झाँसी परिसर में स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के मरम्मत हेतु आगणन रु0234.25 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ रु050.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय झाँसी परिसर में स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के मरम्मत हेतु अनुमोदित लागत रु0234.25 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रु050.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रु0184.25 लाख के सापेक्ष **रु099.00 लाख (रूपये निन्यानबे लाख मात्र)** निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग , कार्यदायी संस्था नामित है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग झाँसी को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।
- 2- धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।
- 3- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।
- 4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 5- शासनादेश संख्या- 34/2017/443/सात-न्याय-9(बजट)-2015-800(6) /2017, दिनांक 22-03-2017 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।
- 6- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक " 2014- न्याय प्रशासन- 00 -800-अन्य व्यय -00- 05-विभागीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान -29- अनुरक्षण " के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचि

सं0- 32 /2018/231(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के माध्यम से ।
- 5- जनपद न्यायाधीश, झाँसी ।
- 6- मुख्य अभियन्ता,(भवन) लोक निर्माण विभाग लखनऊ ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग झाँसी ।
- 8- वित्त ई-12 ।
- 9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।